



## राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

www.rsrtc.rajasthan.gov.in

परिवहन मार्ग, जयपुर-302001

क्रमांक-मुख्या/प्रशा./सामा./16/258

दिनांक:- 4/10/2016

### कार्यालय आदेश

सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अन्तर्गत सार्वजनिक वाहनों, बस अड्डों, सार्वजनिक कार्यालयों में धूम्रपान निषेध है। अधिनियम की धारा-4 के अनुसार सार्वजनिक वाहनों, बस अड्डों व सार्वजनिक कार्यालयों में चेतावनी संकेतक लगाने आवश्यक है।

अधिनियम की पालना में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कार्यालयों, बस अड्डों में धूम्रपान निषेध के संकेतक बोर्ड व 200/- रु. जुर्माने की चेतावनी के बोर्ड लगे हुये हैं, एवं प्रत्येक कार्यालय में जुर्माना वसूलने के लिये अधिकारी को अधिकृत किया हुआ है।

अतः निगम मुख्यालय में धूम्रपान निषेध हेतु सहायक लेखाधिकारी (जनसुविधा/सं0) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

दिनांक:- 4-10-2016

क्रमांक-मुख्या/प्रशा./सामा./16/258

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
3. कार्यकारी निदेशक (प्रशासन/विधि/यातायात/यांत्रिक), रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
4. अधिक्षण अभियन्ता (निर्माण), रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
5. उप महा प्रबन्धक (प्रशासन/आई.टी/सांख्यिकी/वित्त), रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
6. कार्यकारी प्रबन्धक (जनसम्पर्क/आई.आर/सु.-सर्त), रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
7. सहायक लेखाधिकारी (जनसुविधा/सं0), रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
8. प्रभारी, कैयर टेकर शाखा, रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
9. आदेश पत्रावली।

(सोहन लाल धानका)

उप महा प्रबन्धक (प्रशासन)